न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1706–।।/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–5–2014 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सीधी – प्रकरण कमांक 364/2011–12 स्वमेव निगरानी

1– रामार्चा प्रसाद पुत्र स्व0 रामानुज शुक्ला,
2– इन्द्रलाल शुक्ला पुत्र स्व0 रामानुज शुक्ला,
3– इन्द्रजीत शुक्ला पुत्र स्व0 रामानुज शुक्ला,
तीनों निवासी ग्राम मिश्रिगवॉ तहसील चुरहट
जिला सीधी , मध्य प्रदेश

–– आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

–––अनावेदक

(श्री के0के0द्विवेदी अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री डी0के0शुक्ला – शासन के पैनल अभिभाषक)

अ ा दे श

(आज दिनांक 28 फरवरी 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी व्दारा प्रकरण कमांक 364/2011–12 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–05–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण ने तहसीलदार चुरहट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की, कि ग्राम भेलकी स्थित भूमि सर्वे कमांक 822 नवीन सर्वे नंबर 285 रकबा 0.543 हैक्टर, 286/1 रकबा 0.149 हैक्टर, 287/1 रकबा 0.194 हैक्टर, 292 रकबा 0.138 हैक्टर, 298 रकबा 0.202 हैक्टर, 299 रकबा 0.053 हैक्टर, 300 रकबा 0.073 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 1.352 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर पुस्तैनी कब्जा है एंव वह भूमिहीन है अतः भूमि का व्यवस्थापन

किया जावे। नायव तहसीलदार चुरहट ने प्रकरण क्रमांक 10 अ 19/1992–93 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 30.10.1992 के व्दारा वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदकगण के नाम कर दिया।

व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30.10.1992 का अमल शासकीय अभिलेख में न होने के कारण आवेदकगण ने तहसीलदार चुरहट को प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2000 (लगभग 7 वर्ष 11 माह उपरांत) प्रस्तुत कर शासकीय अभिलेख में आदेश दिनांक 30.10.1992 का अमल करने हेतु निवेदन किया। इस पर तहसीलदार चुरहट ने प्रकरण क्रमांक 232 अ 74/2001–02 पंजीबद्व किया एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23.9.2004 पारित किया तथा नायव तहसीलदार चुरहट के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30.010.92 का अमल शासकीय अभिलेख में करना आदेशित किया।

अपर कलेक्टर सीधी द्वारा नायब तहसीलदार चुरहट के प्रकरण क्रमांक 10 अ 19/1992–93 का परीक्षण करने पर भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें पाये जाने के कारण स्वमेव निगरानी पंजीबद्व कर हितबद्व पक्षकारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत प्रकरण क्रमांक 364/2011–12 स्वमेव निगरानी में आदेश दिनांक 24–5–2014 को पारित कर नायव तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30.10.92 तथा तहसीलदार चुरहट का आदेश दिनांक 23.9.1994 निरस्त कर दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण भूमिहीन एंव कृषि श्रमिक रहे हैं। उनके पिता के समय से वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण कां कब्जा होकर खेती करते आ रहे हैं। भूमि व्यवस्थापित होने के बाद आवेदकगण ने भूमि के समतलीकरण पर एंव कृषि योग्य बनाने में काफी श्रम व धन व्यय किया है। लम्बे अंतराल बाद अपर

कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी दर्ज की है जो प्रचलन योग्य न होते हुये भी आदेश पारित कर भूमि व्यवस्थापन निरस्त किया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 24—5—2014 को निरस्त करने की मांग रखी।

5/ अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि नायव तहसीलदार व्दारा किये गये त्रुटिपूर्ण आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करना उचित आदेश है। विवादग्रस्त भूमि की नोइयत झुड़पी जंगल है जिसका आबंटन नहीं किया जा सकता। नायब तहसीलदार का आदेश त्रुटिपूर्ण था इसकी जानकारी आवेदक को थी इसलिये उसने इतने विलम्ब से अभिलेखों में अमल कराने के लिये आवेदन दिया। अवैधानिक आदेश को कभी भी स्वमेव निगरानी में लिया जा सकता है। अपर कलेक्टर का आदेश उचित है अतः निगरानी निरस्त की जाए।

6/ प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपर कलेक्टर ने नायबतहसीलदार के आदेश दिनांक 30.10.1992 के विरूद्व वर्ष 2011—12 में स्वमेव निगरानी पंजीबद्व की है जो लम्बे अंतराल से है, किन्तु प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह भी है कि अपर कलेक्टर सीधी को नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.10.1992 की जानकारी कब हुई, क्योंकि आवेदकगण ने स्वयं के हित में नायब तहसीलदार चुरहट से आदेश दिनांक 30.10.92 से वादग्रस्त भूमि व्यवस्थापित कराली और व्यवस्थापन आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में नहीं कराया तथा दिनांक 11.10.2000 लगभग 7 वर्ष 11 माह तक चुपचाप रहे एंव इतनी लम्बी अवधि तक अमल न कराना तथा तहसीलदार चुरहट को बाद में 11.10. 2000 को आवेदन देकर आदेश दिनांक 23.9.2004 से वादग्रस्त भूमि का शासकीय अभिलेख में अमल कराया है। ऐसी स्थिति में जब अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष भूमि व्यवस्थापन का तथ्य आया एंव उन्होंने नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 10 अ 19/1992—93 का परीक्षण किया, तब भूमि व्यवस्थापन में विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें पाये जाने स्वमेव

निगरानी में प्रकरण दर्ज किया इसलिये आवेदक के अभिभाषक व्दारा स्वमेव निगरानी में विलम्ब वावत् उठाया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

7/ नायब तहसीलदार चुरहट के प्रकरण कमांक 10 अ 19/1992—93 के अवलोकन पर तथा अपर कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 24—5—2014 के अवलोकन पर यह तथ्य निर्विवाद है कि व्यवस्थापन के पूर्व भूमि खसरे में झु0ग02 अर्थात झुड़पी जंगल दर्ज चली आ रही थी जिसकी पुष्टि नायव तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 13,14 पर संलग्न खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि से होती है और झुड़पी जंगल नोईयत की भूमि को बिना नोईयत बदलवाये एंव बन विभाग की सहमति लिये बिना बंटन/व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता। नायब तहसीलदार के प्रकरण में ऐसा कोई भी अभिलेख संलग्न होना नहीं पाया गया है, जिससे यह ज्ञात होता हो कि आवेदकगण भूमिहीन अथवा कृषि श्रमिक है। वादग्रस्त भूमि ग्राम भेलकी में स्थित है, जबकि आवेदकगण ग्राम भेलकी के निवासी न होकर ग्राम मिश्रिगवां के निवासी है। अनियमितताओं के पाये जाने से अपर कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 24—5—14 से नायब तहसीलदार चुरहट के आदेश दिनांक 30.10.1992 से किये गये व्यवस्थापन को एंव लगभग 7 वर्ष 11 माह बाद तहसीलदार चुरहट द्वारा प्रकरण कमांक 232 अ 74/2001—02 में पारित आदेश दिनांक 23.9.2004 से भूमि व्यवस्थापन आदेश का खसरे में इन्द्राज करने हेतु दिये गये आदेश को निरस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना परिलक्षित नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर